भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण
AIRPORTS AUTHORITY OF INDIA

सं.ए.60011/80/2011/पीपी/168

07 जून, 2018

क्षेत्रीय कार्यपालक निदेशक
भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण
उत्तरी /पश्चिमी /पूर्वी / दक्षिणी/ उत्तर-पूर्वी
नई दिल्ली /मुंबई /कोलकाता/चेन्नई/गुवाहाटी

कार्यपालक निदेशक,
भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण,
आरसीडीयू/एफआईयू,
नई दिल्ली

विमानपत्तन निदेशक
भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण
कोलकाता/चेन्नई हवाईअड्डा

निदेशक
भारतीय विमानन आकदमी
नई दिल्ली

प्रधानाचार्य
नागर विमानन प्रशिक्षण महाविद्यालय (सीएटीसी)
बमरौली ,इलाहाबाद

महाप्रबंधक
भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण
सीआरएसडी/वि.एवं यां कार्यशाला
नई दिल्ली

निगमित मानव संसाधन प्रबंधन परिपत्र सं. 20/2018

विषय: अधिवर्षिता लाभ योजना (एसबीएस) का आरंभ - भाविप्रा कर्मचारी परिभाषित अंशदान योजना (भाविप्राईडीसीएस)।

भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण के प्रबंधन द्वारा डीपीई के कार्यालय ज्ञापन दिनांक 26.11.2008, 02.04.2009, 21.5.2014 तथा 03.08.2017 के माध्यम से जारी दिशा-निर्देश/ अनुदेशों के आधार पर नागर विमानन मंत्रालय के पत्र सं एवी-24032/578/2015-भाविप्रा-एमओसीए दिनांक 26/02/2018 द्वारा जारी किए गए राष्ट्रपति के आदेशों के संबंध में दिनांक 01.01.2007 से भाविप्रा में अधिवर्षिता लाभ योजना (एसबीएस) का आरंभ - भाविप्रा कर्मचारी परिभाषित अंशदान योजना (भाविप्राईडीसीएस) को आरंभ करने की सहर्ष घोषणा की जाती है ।

उक्त योजना को अंशदान योजना से परिभाषित किया जाता है । इस योजना के तहत अधिवर्षिता योजना की शर्तों के अनुसार पेंशन की राशि प्रत्येक कर्मचारी के संबंध में उसके/उसकी अधिवर्षिता/अलगाव जैसा भी मामला हो की तारीख पर एकत्रित राशि पर निर्भर होगी ।
इस योजना की मुख्य विशेषताएं इस प्रकार हैं: -

2. प्रभावी तिथि

I. यह योजना जनवरी 1, 2007 से प्रभावी होगी ।

3. पात्रता:

I. यह योजना 01.01.2007 को भाविप्रा के रोल पर सभी नियमित कर्मचारियों (बोर्ड सदस्यों सहित) अथवा इसके बाद नियुक्त कर्मचारियों बशर्ते कि ऐसे कर्मचारियों की सीपीएसई में कुल अवधि भाविप्रा में सेवा सहित 15 वर्षों से कम न हो । तथापि, डीपीई के कार्यालय ज्ञापन सं. डब्ल्यू-02/0028/2017-डीपीई (डब्ल्यूसी)-जीएल-XIII/17 दिनांक 03/08/2017 (पैरा सं.12.2) के अनुसार कथित योजना के अंतर्गत पेंशन हेतु अधिवर्षिता और सीपीएसई में न्यूनतम 15 वर्षों की सेवा संबंधी आवश्यकता से छूट प्रदान की गई है।

अत: 01.01.2007 से 02.08.2017 तक सेवानिवृत्त होने वाले कार्मिक हेतु सीपीएसई में 15 वर्षों की सेवा की अपेक्षाएं लागू होंगी तथा राष्ट्रपति के आदेशों की तिथि अर्थात् 03.08.2017 से अधिवर्षिता की अपेक्षाएं तथा सीपीएसई में न्यूनतम 15 वर्षों की सेवा योजना के अंतर्गत लाभ हेतु पात्रता को समाप्त कर दिया गया है ।

II. ऐसे कर्मचारी जिन्होने डीजीसीए तथा एनएए/भाविप्रा में संयुक्त सेवा के आधार पर सरकारी पेंशन का विकल्प लिया है, वे ईपीएफओ पेंशन, ईपीएस 95 पेंशन सहित भाविप्रा की किसी भी, अधिवर्षिता लाभ योजना पेंशन अथवा भविष्य में मिलने वाले ऐसे किसी भी लाभ के पात्र नहीं होंगे ।

4. अंशदान

I. भाविप्रा का अंशदान: त्यागपत्र, बर्खास्तगी, अनुशासनिक कार्यवाहियों,लंबित मुकदमें, अथवा अचानक गुम होने अथवा माह जिसमें प्राधिकरण द्वारा योजना तथा ट्रस्ट डीड अधिसूचित की गई हो, जो भी पहले हो, के कारणों को छोड़कर, कर्मचारियों की पिछली सेवा के संबंध में प्राधिकरण द्वारा प्रवेश की तिथि से आरंभ होकर सेवानिवृत्ति के अंतिम माह तक आंरभिक अंशदान का भुगतान किया जाएगा ।

II. भाविप्रा द्वारा प्रत्येक कार्मिक की अधिवर्षिता की उम्र तक देय राशि (मूल वेतन+डीए) के प्रतिशत का भुगतान किया जाएगा । प्रबंधन द्वारा इसका निर्णय प्रचलित डीपीई दिशा-निर्देशों के अनुसार किया जाएगा । प्राधिकरण द्वारा अंशदान की वार्षिक दर प्रत्येक वर्ष, सामर्थ्य के आधार पर, अधिसूचित की जाएगी ।

III. 01.01.2007 से 31.12.2016 की अवधि हेतु प्रत्येक कर्मचारी के संबंध में प्राधिकरण द्वारा देय राशि कर्मचारी के (मूल वेतन+डीए) के 10% की दर से होगी । 01.01.2017 से अंशदान की दर प्रबंधन द्वारा बाद में लिए गए अनुमोदन के अनुसार अधिसूचित होगी ।

IV. कर्मचारी का अंशदान: कर्मचारी 01.04.2018 से स्वैच्छिक योगदान कर सकता है जो कि (मूल वेतन+डीए) के 10% से अधिक नहीं होगा बशर्ते कि वह उस वर्ष भाविप्रा के द्वारा दिए गए अधिकतम अंशदान के अधीन हो ।

5. नामांकन: प्रत्येक कर्मचारी इस योजना के अंतर्गत एक या अधिक नामिती नियुक्त कर सकता है जो कि उसके/उसकी पति/पत्नी, बच्चें अथवा आश्रित होंगे और सदस्य की मृत्यु होने की स्थिति में इसके अंतर्गत लाभ प्राप्त कर सकते हैं ।

6. योजना के अंतर्गत लाभ

I. इस योजना का प्रबंधन "भाविप्रा कर्मचारी परिभाषित अंशदान अधिवर्षिता ट्रस्ट" नामक ट्रस्ट द्वारा किया जाएगा।

II. ट्रस्ट का गठन किया जाएगा तथा इसमें अध्यक्ष तथा ट्रस्टीज़ होंगे जिनकी नियुक्ति ट्रस्ट के ट्रस्टीज के रूप में प्रबंधन द्वारा की जाएगी । "भाविप्रा कर्मचारी परिभाषित अंशदान अधिवर्षिता ट्रस्ट" नामक ट्रस्ट के अध्यक्ष तथा ट्रस्टीज़ को नियुक्त की करने शक्ति अध्यक्ष, भाविप्रा के पास निहित होगी ।

III. कथित योजना में कर्मचारी का व्यक्तिगत खाता खोला जाएगा और नियोक्ता/कर्मचारी के स्वैच्छिक अंशदान,यदि कोई हो, को ट्रस्ट के माध्यम से सदस्य के व्यक्तिगत खाते में जमा किया जाएगा और उसका/उसकी सेवा अवधि के दौरान उनकी सामान्य सेवानिवृत्ति की तारीख तक देय होगा । मासिक पेंशन प्राप्त करने के लिए एवं अनुमोदित आई आर डी ए बीमा कंपनी से ट्रस्ट द्वारा व्यक्तिगत खाते में राशि जमा करने हेतु वार्षिक भूति खरीदी जाएगी ।

IV. ट्रस्टीज़ सेवानिवृत्ति की तारीख़ से तीन माह पूर्व सदस्य के पास उपलब्ध पेंशन विकल्प मांगेगा तथा इस योजना के तहत पेंशन विकल्प का उपयोग करने वाले सदस्य के लिखित नोटिस के साथ बीमाकर्ता को सूचित किया जाएगा, जिसमें नामांकित व्यक्ति की नियुक्ति के लिए सदस्य द्वारा साक्ष्य दिए जाएंगे ।

7. <u>अन्य निबंधन एवं शर्तें:</u>

I. केन्द्रीय /राज्य सरकार से भाविप्रा में प्रतिनियुक्ति पर आने वाले कर्मचारियों को इस योजना के अंतर्गत लाभ नहीं दिया जाएगा।

II. सीपीएसई से प्रतिनियुक्ति पर आने वाले कार्मिक हेतु जहां ऐसी कोई योजना नहीं है, ऐसे मामलो में, भाविप्रा योजना के अंतर्गत कोई भी योगदान देने के लिए उत्तरदायी नहीं होगा । जबकि अन्य सीपीएसई से प्रतिनियुक्ति पर आने वाले कर्मचारियों हेतु, जहां इस प्रकार की योजना है, ऐसे मामलो में, प्रत्येक वर्ष ट्रस्ट द्वारा अधिसूचित दर पर भाविप्रा द्वारा अंशदान दिया जाएगा । तथा, यदि कार्मिक स्वेच्छापूर्वक अंशदान देना चाहता है, तो उसे भाविप्रा ट्रस्ट द्वारा अधिसूचित दरों के अनुसार, ऐसा करने की अनुमति दी जाएगी ।

III. यदि भाविप्रा का कर्मचारी किसी अन्य सीपीएसई में प्रतिनियुक्ति पर जाता है (जहां इस प्रकार की योजना है अथवा नहीं है) तो भाविप्रा प्रतिनियुक्ति की अवधि हेतु किसी भी प्रकार का अंशदान देने के लिए उत्तरदायी नहीं देगा । परंतु, यदि कर्मचारी स्वैच्छापूर्वक इस योजना के अंतर्गत अंशदान देना चाहता है तो उक्त योजना की निबंधन एवं शर्तों के अनुसार उसे ऐसा करने की अनुमति होगी ।

IV. इस योजना के लाभों को लेने के लिए सीपीएसई में कुल सेवा की गणना करने के प्रयोजन हेतु भाविप्रा में शामिल होने से पहले सरकार में की गई सेवा की अवधि की गणना नहीं की जाएगी ।

V. यदि कोई कर्मचारी भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण की सेवाओं से त्यागपत्र देता है तथा ऐसे सीपीएसई में कार्यभार ग्रहण करता है, जहां इस प्रकार की व्यापक योजना है, तो नियोक्ता एवं कर्मचारी की संपूर्ण राशि का अंशदान एवं इस पर उपार्जित ब्याज राशि सहित ऐसे सीपीएसई को हस्तांतरित की जा सकती है । तथापि, ऐसे कर्मचारी जो भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण से त्याग पत्र देते हैं और अन्य सीपीएसई में कार्यभार ग्रहण करते हैं, जहां ऐसी योजना नहीं है अथवा कोई संगठन जो सीपीएसई न हो (बावजूद इसके कि उस संगठन में ऐसी योजना विद्यमान हो) ऐसे एकत्रित फंड के लाभ को हस्तांतरण की अनुमति नहीं दी जाएगी । तथापि, कर्मचारी अंशदान, यदि कोई हो , कर्मचारी को उस पर उपार्जित ब्याज सहित लौटाया जाएगा ।

VI. योजना के अंतर्गत नियमित सदस्य की यदि मृत्यु हो जाती है, स्थायी रूप से विक्लांग या असक्षम हो जाता है और अधिवर्षिता से पूर्व भाविप्रा में की गई सेवा सहित सीपीएसई में 15 वर्षों की सेवा से पहले ही उसकी सेवाएं समाप्त हो जाती हैं, तो उसे योजना के अंतर्गत लाभ प्रदान किए जा सकते हैं ।

VII. वीआरएस/वीएसएस के मामले- 50 वर्ष एवं 60 वर्ष के बीच वीआरएस लेने वाले कार्मिक अधिवर्षिता लाभ योजना प्राप्त करने हेतु पात्र होंगे ।

VIII. यदि कर्मचारी 50 वर्ष की आयु से पहले वीआरएस लेता है तो वार्षिकी (annuity) सदस्य के स्वैच्छिक योगदान तथा इसके ब्याज यदि कोई हो, पर आधारित होगी ।

IX. ऐसे कर्मचारी जिसके विरूद्ध सेवानिवृत्ति के समय अनुशासनिक कार्यवाही लंबित है, को योजना के अंतर्गत लाभ की ग्राह्यता भाविप्रा कर्मचारी (आचरण, अनुशासन तथा अपील) विनियम, 2003 के अनुसार कार्यवाही के परिणाम के आधार पर समंजित की जाएगी ।

X. त्यागपत्र के मामले में (तकनीकी औपचारिक खंड में शामिल त्यागपत्र को छोड़कर) तथा अनुशासनिक कार्यवाही के कारण अनिवार्य सेवानिवृत्ति, हटाने, बर्खास्तगी, के मामले में सदस्य के स्वैच्छिक योगदान तथा इसके ब्याज पर यदि कोई हो केवल एन्युटी आधारित होगी, यदि कोई हो ।

8. इस योजना में सदस्यता भाविप्रा में रोजगार के साथ सह-टर्मिनस होगी।

9. आगे, प्रभावित कर्मचारी के मूल वेतन से अतिरिक्त वेतनवृद्धि की राशि से कटौती के बाद कर्मचारी के खाते में अंशदान इस आदेश के अनुसार दिनांक 12.07.2016 से किया जाएगा तथा अतिरिक्त वेतनवृद्धि की राशि से कटौती कर एक अलग खाते में रखा जाएगा तथा इसे तदनुसार डील किया जाएगा क्योंकि यह मामला कैबिनेट के निर्णय तथा दी गई अतिरिक्त वेतनवृद्धि के नियमतीकरण से संबंधित न्यायालय के निर्णय के अधीन अंनतिम प्रकृति का है ।

10. प्वाइंट/ अन्य नियम एवं शर्तें जिनका ऊपर उल्लेख नहीं किया गया है, उन पर निर्णय अध्यक्ष, भाविप्रा के अनुमोदन से ट्रस्ट/प्रबंधन द्वारा किया जाएगा ।

यह सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन से जारी किया गया है ।

(संजय जैन)
कार्यपालक निदेशक (मानव संसाधन)

वितरण:

- अध्यक्ष महोदय के उपमहाप्रबंधक (ईएस)
- सदस्य (योजना)/ सदस्य (वित्त) / सदस्य मानव (संसाधन)/सदस्य(एएनएस) / सदस्य (प्रचालन) /मुख्य सतर्कता अधिकारी के उमप्र (ईएस)
- कार्यापालक निदेशक (वित्त)/ निगमित मुख्यालय/प्रचालन कार्यालय / भाविप्रा कार्यालय परिसर के सभी विभागाध्यक्ष
- मप्र (आई टी) - भाविप्रा वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु / सभी महाप्रबंधक (मा सं)
- महासचिव- एएओए(आई) /एटीसी (गिल्ड)/ भाविप्रा इंजीनियरिंग गिल्ड (आई)/आईएएआईओए/ भाविप्रा अजा/अजजा एसोशिएसन
- महासचिव- एएईयू

नोट :- हिंदी अनुवाद संबंधी विवाद की स्थिति में अंग्रेजी पाठ अधिकृत माना जाएगा ।